

श्रीमद् रामचरणाय नमः

विजयवर्गीय (वैद्य) राज सेवक परिषद, जयपुर

75/1ए, नारायणपुर हाउस, षिप्रापथ, मानसरोवर, जयपुर

अध्यक्ष

राजेन्द्र प्रसाद विजय

(नारायणपुर निवासी)

मोबा. 9829619668 ईमेल:तचअपरंल0515/हउंपसणबवउ

संरक्षक

नन्दकिशोर विजय

(बसवा निवासी)

मोबा. 9414049196

मुख्य संरक्षक

लल्लू लाल गुप्ता

(से.नि.बैंक अधिकारी)

मोबा. 9610780551

महासचिव

षिवकुमार विजयवर्गीय

(बुटेरी निवासी)

मोबा. 9829472662

श्रीमती सम्पत्ति देवी विजयवर्गीय राजसेवक परिषद सर्वजन हितकारी स्थाई कोष न्यास, जयपुर

चिकित्सकीय सहायता हेतु आवेदन-पत्र

फोटो

आदरणीय अध्यक्ष/मंत्री महोदय

मैं निम्नांकित विवरण के साथ चिकित्सकीय सहायता के लिये आवेदन-पत्र प्रेषित कर रहा/रही हूँ।

1-आवेदक का नाम _____

2-आवेदक के पिता/पति का नाम _____

3-पूरा पता फोन नं0 _____

फोन नं0(मोबाईल)_____

6-आवेदक की मासिक आय _____

(आय प्रमाण पत्र संलग्न करें)

7-परिवार के वयस्क अगर कार्य कर रहे हो तो उनका विवरण-

क्र0सं0	नाम	संबंध	वार्षिक आय

8-आवेदक किस बीमारी से पीडित है

(बीमारी का प्रमाण पत्र संलग्न करें)

9-क्या न्यास से पूर्व में कोई सहायता

मिली यदि हाँ तो कितनी _____

10-न्यास के अतिरिक्त अन्यत्र से भी क्या कोई _____

सहायता मिल रही है। यदि हाँ तो कितनी _____

और कहां से

श्रीमद् रामचरणाय नमः

विजयवर्गीय (वैद्य) राज सेवक परिषद, जयपुर

75/1ए, नारायणपुर हाउस, षिप्रापथ, मानसरोवर, जयपुर

अध्यक्ष

राजेन्द्र प्रसाद विजय

(नारायणपुर निवासी)

मोबा. 9829619668 ईमेल:तचअपरंल0515/हउंपसणबवउ

संरक्षक

नन्दकिशोर विजय

(बसवा निवासी)

मोबा. 9414049196

मुख्य संरक्षक

लल्लू लाल गुप्ता

(से.नि.बैंक अधिकारी)

मोबा. 9610780551

महासचिव

षिवकुमार विजयवर्गीय

(बुटेरी निवासी)

मोबा. 9829472662

13-मेरे द्वारा नियम व शर्तें पूर्णरूप से पढकर समझ ली है तथा मैं इनकी पालना हेतु सहमत हूँ।
कृपया स्वीकृति देकर अनुग्रहित कीजिये।

दिनांक

प्रार्थी,

नाम-----

कमांक

दिनांक

प्रादेशिक/स्थानीय संगठन द्वारा अभिशंसा

मैं -----पद-----प्रादेशिक/स्थानीय संगठन-----

-----तहसील-----जिला-----राज्य-----

प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरे स्वज्ञान से सत्य है, तथा आवेदक चिकित्सकीय सहायता का अधिकारी है।

हस्ताक्षर

पद-----

दिनांक

पता-----

दूरभाष नं0 (मोबाईल)-----

विजयवर्गीय (वैश्य) राजसेवक परिषद, जयपुर द्वारा अभिशंसा

मैंने -----पद-----, उपरोक्त आवेदन पत्र का निरीक्षण कर लिया है।

आवेदक चिकित्सकीय सहायता पाने का अधिकारी है/नहीं है

हस्ताक्षर

श्रीमद् रामचरणाय नमः

विजयवर्गीय (वैश्य) राज सेवक परिषद, जयपुर

75/1ए, नारायणपुर हाउस, षिप्रापथ, मानसरोवर, जयपुर

अध्यक्ष

राजेन्द्र प्रसाद विजय

(नारायणपुर निवासी)

मोबा. 9829619668 ईमेल:तचअपरंल0515/हउंपसणबवउ

संरक्षक

नन्दकिशोर विजय

(बसवा निवासी)

मोबा. 9414049196

मुख्य संरक्षक

लल्लू लाल गुप्ता

(से.नि.बैंक अधिकारी)

मोबा. 9610780551

महासचिव

षिवकुमार विजयवर्गीय

(बुटेरी निवासी)

मोबा. 9829472662

क्रमांक

दिनांक

न्यास का निर्णय

श्री----- चिकित्सकीय सहायता के लिये----- रुपये की एक मुश्त सहायता राशि स्वीकार/अस्वीकार की जाती है।

दिनांक

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

स्थाई सदस्य(नाम सहित)

स्थाई सदस्य(नाम सहित)

श्रीमती सम्पत्ति देवी विजयवर्गीय राजसेवक परिषद सर्वजन हितकारी स्थाई कोष न्यास, जयपुर

कार्यालय आदेश

न्यास के निर्णय के अनुसार श्री/श्रीमती ----- को दिनांक -----से प्रतिमाह राशि -----अक्षरे-----चिकित्सकीय सहायता दिये जाने की एतद् द्वारा स्वीकृति चैक द्वारा दी जाती है।

अध्यक्ष

विजयवर्गीय (वैश्य) राज सेवक परिषद, जयपुर

नोट:-

1-इस आवेदन पत्र को दो व्यक्तियों द्वारा प्रमाणित कराना अनिवार्य होगा। इसे प्रमाणित करने का अधिकार-

क- राजसेवक परिषद कार्यकारिणी के समस्त पदाधिकारी, सदस्य

ख- इस न्यास के सभी सदस्य

ग- विभिन्न स्थानीय संगठनों के अध्यक्ष, मंत्री

घ- प्रादेशिक संगठनों के अध्यक्ष, मंत्री।

2-यह सहायता एक मुश्त राशि के रूप में दी जावेगी।

श्रीमद् रामचरणाय नमः

विजयवर्गीय (वैष्य) राज सेवक परिषद, जयपुर

75 / 1ए, नारायणपुर हाउस, षिप्रापथ, मानसरोवर, जयपुर

अध्यक्ष

राजेन्द्र प्रसाद विजय
(नारायणपुर निवासी)

मोबा. 9829619668 ईमेल:तचअपरंल0515 / हउंपसणबवउ

संरक्षक

नन्दकिशोर विजय
(बसवा निवासी)

मोबा. 9414049196

मुख्य संरक्षक

लल्लू लाल गुप्ता
(से.नि.बैंक अधिकारी)

मोबा. 9610780551

महासचिव

षिवकुमार विजयवर्गीय
(बुटेरी निवासी)

मोबा. 9829472662

- 3—सहायता प्राप्त आवेदक के बारे में कोई शिकायत प्राप्त होने पर उसकी जाँच पश्चात अगर शिकायत सही पाई जाती है तो आवेदक की सहायता निरस्त करने का पूर्ण अधिकार समिति की पास सुरक्षित होगा।
- 4—आवेदन पत्र के साथ मतदाता पहचान पत्र (पिता / संरक्षक का) एवं वर्तमान निवास का प्रमाण पत्र
- 5—सहायता राशि का भुगतान जरिये अकाउन्ट पेई चैक द्वारा ही किया जावेगा।